BSNLEU

B S N L Employees Union
M.P. Circle, BHOPAL

(Regd. No. 4896)
(The Only Recognised union in BSNL)
OFFICE:1195,Lal Kothi,Near Brij Sweets,Shahi Naka Road,Gulauatal,Garha,JABALPUR,(MP)
Phone:- 0761-2425789 Website:- www.bsnleump.org Mobile:- 94251 24499
Circle Secretary Email:srnayak68@yahoo.in Circle President
S.R.Nayak B.S.Raghuwanshi

क्रमांक: 2012/आप्शन/3 दिनांक 16-01-2012

This document was created using Smart PDF creator. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

पदोन्नति प्राप्त होने पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए आप्शन आप्शन देने की अंतिम तारीख 21-01-2012

प्रिय साथी,

नेशनल काउन्सिल में हुए समझौते के अनुसार 01-01-2007 से नए वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए पद आधारित पदोन्नति प्राप्त होने वाले साथियों को आप्शन देने का एक अंतिम अवसर दिया गया है। BSNL कारपोरेट आफिस नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 1-37/2011-(PAT) dated 22-12-2011 के अनुसार इस अवसर का उपयोग करने के लिए आप्शन देने की अंतिम तारीख 21-01-2012 है।

विषयांतर्गत हमने मध्य प्रदेश परिमंडल की साइट पर दिनांक 22-12-2011 को ही इस पत्र को अपलोड कर दिया था तथा उसका हिन्दी सारांश भी अपलोड किया था। किन्तु कुछ जिला सचिवों ने बताया है कि वे इस विषय को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। अतः पुनः इस विषय की सार वस्तु को तुरन्त कार्यवाही के लिए अपलोड किया जा रहा है। जिला सचिवों से निवेदन है कि यदि उनके जिले में इस आदेश का लाभ प्राप्त करने योग्य कोई साथी है तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि वह साथी हर हालत में पुनः वेतन निर्धारण कराने के लिए दिनांक 21-01-2012 के पूर्व आप्शन दे देवे। कृपया ध्यान रखें कि ऐसा आप्शन देने का यह अंतिम अवसर होगा।

आदेश दिनांक 22-12-2011 के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

(1) दिनांक 01-01-2007 से प्रभावशील हुए नए वेतनमान में जाने के लिए आप्शन देना है।
(2) जिन साथियों को पद आधारित पदोन्नति प्राप्त हुई है, जैसे टेलीकाम मैकेनिक, टीटीए जे ए ओ आदि पदों पर पदोन्नत होने वाले साथियों के लिए यह आदेश प्रभावशील होगा।
(3) यह आदेश उन साथियों पर लागू होगा जो 01-01-2007 से 07-05-2010 के बीच पदोन्नत हुए हैं
(4) पदोन्नति प्राप्त करने के बाद नए वेतनमान में वेतन निर्धारण कराने के लिए पहिले जो बढ़ा हुआ वेतन मिला था वह एडजस्ट होगा।
(5) इसलिए हिसाब लगाने के बाद ही लाभकारी होने की स्थिति में पदोन्नति प्राप्त करने के बाद से नए वेतनमान में वेतन निर्धारण कराने के लिए आप्शन दिया जावे।
(6) अपवाद छोड़कर अधिकांश साथियों के लिए यह आदेश लाभकारी होगा तथा इससे रू.1000-2000 तक वेतन में बढ़ोत्तरी प्राप्त होगी।

BSNLEU

B S N L Employees Union

M.P. Circle, BHOPAL

(Regd. No. 4896)

(The Only Recognised union in BSNL)

OFFICE:1195,Lal Kothi,Near Brij Sweets,Shahi Naka Road,Gulauatal,Garha,JABALPUR,(MP)

Phone:- 0761-2425789 Website:- www.bsnleump.org Mobile:- 94251 24499

Circle Secretary Email:srnayak68@yahoo.in Circle President

S.R.Nayak B.S.Raghuwanshi

अच्छी तरह से समझने के लिए हम वेतन निर्धारण का एक उदाहरण निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहे हैंः–

मान लीजिए कि किसी टेलीकाम मैकेनिक साथी की दिनांक 01-01-2007 को रू.4720-150-6970 वेतनमान में मूल वेतन रू.5920/- था। मान लीजिए कि उसे पुराने वेतनमान में एक इन्क्रीमेंट 01-09-2006 को प्राप्त हुआ था। 01-01-2007 को नए वेतनमान में वह रू.13000/- के मूल वेतन पर फिक्स हुआ था। इस प्रकार 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने पर उसे 01-09-2007 को रू.13390/- दिनांक 01-09-2008 को 13800/- का वेतन प्राप्त हुआ।

अब 07-05-2009 को वह टीटीए के पद पर पदोन्नत हो गया। तो उसे 3% वार्षिक वृद्धि का लाभ देकर रू.14220/- पर फिक्स किया गया। इस प्रकार 01-05-2010 को उसे रू.14650/- तथा 01-05-2011 को रू.15090/- इन्क्रीमेंट प्राप्त करने पर वेतन मिल रहा है।

किन्तु यदि वह साथी यह आप्शन देता है कि उसे 07-05-2009 को टीटीए के पद पर पदोन्नति देने के बाद नए वेतनमान (जो 01-01-2007 से प्रभावशील हुआ है) में पुनः वेतन निर्धारण किया जावे। ऐसी स्थिति में उसे 01-09-2006 को रू.5920/-, 01-09-2007 को रू.6070/-, 01-09-2008 को रू.6220/- है। [07-05-2009 को टीटीए के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने पर रू.7100/- (पुराना वेतनमान) पर फिक्स किया गया है।] अब पुनः निर्धारण करने पर उसे 30% फिटमेंट देकर उसे 07-05-2009 को रू.15590/- प्राप्त होंगे जबकि पहिले रू.14220/- ही मिल रहे थे। इस प्रकार वह साथी 07-05-2009 को रू.15590/- पर फिक्स होगा। अतः 07-05-2009 को वेतन में फायदा रू.15590-14220= रू.1370/- का होगा। इसके बाद वह 01-05-2010 को रू.16050/- तथा 01-05-2011 को रू.16540/- प्राप्त करेगा। इस प्रकार 01-05-2011 को उसको मूल वेतन में रू.16540-15090= रू.1450/- का लाभ प्राप्त होगा।

विशेषः– यह लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 07-05-2009 तक पुराने वेतनमान में रहना होगा तथा जो वेतन रिवीजन पर एरियर मिला था वह भी छोड़ना होगा। इसलिए अच्छे से हिसाब लगाने के बाद लाभकारी स्थिति में आने पर ही पदोन्नति प्राप्त करने के बाद नए वेतनमान में वेतन निर्धारण कराने के लिए आप्शन दिया जावे।

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com